राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

NO/PA/Dir/P.H/
8803
12 DEC 2018
D.M. (P.H.)

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2018 जयपुर, दिनांक : 04.12.2018

डा. कृपाल सिंह,
चिकित्सा अधिकारी,
सिटी डिस्पेन्सरी नम्बर 3,
अलवर।

विषयः– **मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 3846/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2018 की पालना में आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के आदेश दिनांक दिनांक 25.09.2018 के कम संख्या 55 के द्वारा आपका सिटी डिस्पेन्सरी नम्बर 3, अलवर से जिला चिकित्सालय, जैसलमेर में स्थानान्तरण किया गया। उक्त आदेशों के विरूद्ध आपने मा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3846/2018 दायर की। मा अधिकरण ने उक्त अपील में दिनांक 16.10.2018 को आदेश पारित कर आपको विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये है। आपने मा. अधिकरण के निर्देशानुसार विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि :–

1. पी. जी. पूर्ण करने के पश्चान उन्हें विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2018 के द्वारा सिटी डिस्पेन्सरी नम्बर 3, अलवर में पदस्थापित किया गया।
2. डेढ माह पश्चात अल्प अवधि में ही उनका आदेश दिनांक 25.09.2018 के द्वारा उनका जिला चिकित्सालय, जैसलमेर में स्थानान्तरण कर दिया गया।
3. प्रार्थी की पत्नी चिकित्सा अधिकारी के पद पर अलवर जिले में ही पदस्थापित है एवं प्रार्थी के पिता गंभीर किडनी रोग से पीडित है। उनकी दोनो किडनियां खराब हो चुकी है और उक्त बीमारी के कारण वे अंतिम पडाव है।
4. पंचायती राज विभाग से बिना अनुमति प्राप्त कर किये उनका स्थानान्तरण किया गया है।

अलवर जिले में 23 शिशु रोग विशेषज्ञ पदस्थापित है एवं जैसलमेर जिले में मात्र 7 शिशु रोग विशेषज्ञ पदस्थापित है। जैसलमेर जिला अलवर जिले से धनत्व में लगभग 5 गुणा ज्यादा बडा होने एवं जैसलमेर पिछडा जिला होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से आपका स्थानान्तरण सिटी डिस्पेन्सरी नम्बर 3, अलवर से जिला चिकित्सालय, जैसलमेर में किया गया है। साथ ही सिटी डिस्पेन्सरी नम्बर 3, अलवर के नजदीक ही जिला चिकित्सालय, अलवर में शिशु रोग के 5 चिकित्सक पदस्थापित है। अतः आपके अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार करते हुए आपका अभ्यावेदन निरस्त करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए इस विभाग को अवगत करावें।

भवदीय,

-sd-

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर/जोधपुर
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जैसलमेर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर

(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव

40

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई / चिअ / के–969 / 2019 / 1461 दिनांक 16 / 01 / 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप विधी परामर्शी, मुख्यालय ।
2. सयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,जोन–जयपुर / जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर ।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय अलवर ।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सिटी डिस्पेन्सरी नम्बर 03 अलवर ।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटीसी / डीपीसी मुख्यालय ।
7. डॉ0कृपाल सिंह चिकित्सा अधिकारी को द्वारा प्रशासनिक ।
8. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारी की मेल आईडी पर अपलोड करावें।
9. रक्षित / निजी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।